न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 2449/2017

उनवान

1 श्रीमति ललिता सखी पुत्री श्री मदनसिंह राजपूत पत्नि श्री बलीराम पंवार, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
2 श्रीमति देवदर्शन बाला पुत्री श्री मदनसिंह राजपूत पत्नि सुरेश पंवार निवासी, हुरडा तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1 मदन सिंह पिता बहादूर सिंह राजपूत, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा
2 श्रीमति ममताकॅवर पत्नि गिरीराज सिंह राजपूत, निवासी हुरडा ।
3 अरविन्द सिंह पिता गिरीराज सिंह, राजपूत, निवासी हुरडा ।
4 कुलदीप सिंह पिता गिरीराज सिंह, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा।
5 गिरीराज सिंह पिता मदन सिंह राजपूत, निवासी हुरडा, तह. हुरडा।
6 श्रीमति दमयन्ती पुत्री मदनसिंह राजपूत निवासी लक्ष्मीनगर हुरडा ।
7 श्रीमति दीपमाला पुत्री मदनसिंह राजपूत निवासी हुरडा ।
8 अमित देव पिता बालुमुकुन्द माता श्रीमति कमला देवी पंवार निवासी– सी–179 सुभाषनगर, भीलवाडा ।
9 पुष्पराज सिंह पिता राजेन्द्र सिंह माता श्रीमति पुष्पा देवी पंवार निवासी– कालिका पथवारी के पीछे सुभाषनगर भीलवाडा।
10 राजश्री पुत्री राजेन्द्र सिंह माता श्रीमति पुष्पा देवी पंवार निवासी सुभाषनगर भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा ।
11 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा ।
12 उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री रामदयाल जाट, वकील वादी ।
श्रीमति निर्मला जैन वकील प्रतिवादी सं– 2 से 4
श्री दिनेश तिवाडी वकील प्रतिवादी सं– 7 से 8

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक–18.06.2018

Scanned by CamScanner

1– वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित किया गया कि सरहद ग्राम हुरडा मंगरा तहसील हुरडा में खतौनी नम्बर– 446 आराजी नम्बर– 1623, 1643 किता 2 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 2 से लगायत 4 के नाम दर्ज है।

2– वादपत्र की चरण संख्या– 2 में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होकर वादीगण के दादा बहादूर सिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह के जमाने की होकर विभाजन व विरासत से प्रतिवादी संख्या– 01 के हक हिस्से में आयी है। उक्त आराजीयात को वाद को आगे विवादग्रस्त आराजीयात से संबोधित किया जायेगा।

3– वादपत्र की चरण संख्या– 02 में वर्णित आराजीयात में वादपत्र की चरण संख्या– 01 में वर्णित पारीवारिक सजरे के अनुसार वादीगण का 2/8 व प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 5 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 6 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–7 का 1/8 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या– 8 का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 9 एवं 10 का 1/8 हक हिस्सा निहित है व इसी हक हिस्से के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

4– वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पैतृक होने से वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है व वादीगण अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या– 01 जो वादीगण के पिता है जो आयु से 90 वर्षीय होकर वृद्ध है तथा उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नही है।, प्रतिवादी संख्या– 2 से लगायत 4 जो कि प्रतिवादी संख्या– 1 की पुत्रवधु व पोत्र होकर प्रतिवादी संख्या– 05 प्रतिवादी संख्या– 01 का पुत्र है, जिन्होने प्रतिवादी संख्या– 1 को अपने कब्जे में कर रखा है, वादीगण को भी उनसे नही मिलने देते है, वादीगण द्वारा मिलने जाने पर गाली गलौच व लडाई झगडा करते है। दिनांक 10.09.2017 को प्रतिवादी संख्या– 02 से लगायत 05 वादग्रस्त आराजीयात पर आये व वादीगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया, इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि उक्त आराजीयात वादीगण की पैतृक होकर वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है, इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नही है व प्रतिवादी संख्या– 02 से लगायत 05 ने कहा कि प्रतिवादी संख्या– 01 को दबाव एवं प्रभाव में लेकर उनसे उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या– 02 से लगायत 04 जो कि प्रतिवादी संख्या– 1 के पुत्र वधु पोत्र है, जिनके नाम कर करवा ली है, इस कारण से वादीगण को बेदखल करके ही रहेंगे व आरजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तातरण / खुर्द बुर्द करके ही रहेगे । जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है।

5– इस पर वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो वादीगण को जानकारी हुई की वादीगण प्रतिवादी संख्या– 1 की जायन्दा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

पुत्रीया होते हुए व वादीगण का जन्म से हक अधिकार होते हुये व प्रतिवादीगण संख्या– 01 का केवल मात्र 1/8 हिस्सा होते हुए भी प्रतिवादी संख्या– 02 से लगायत 05 ने आपस में मिलीभगती कर वादीगण को उनके जायज हक हिस्से से वंचित करने की नियत से प्रतिवादी संख्या– 01 को दवाव एवं प्रभाव में लेकर प्रतिवादी संख्या–02 लगायत 04 चार के पक्ष में उक्त आराजीयात का दिनांक 04.05.2017 को वादपत्र की चरण संख्या– 1 में वर्णित आराजीयात के विक्रयपत्र अपने पक्ष में पंजीयन करा लिये, जो कि वादीगण को उनकी भूमि से वंचित करने की नियत से दिखावटी तौर पर विना प्रतिफल के पंजीयन कराये गये है, जो वादीगण पर वाध्यकारी नही है व प्रतिवादी संख्या– 1 को सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का अधिकार भी नही था। ऐसे विक्रय पत्र वादीगण के मुकावले शुरु से ही नल एण्ड वोईड होकर निष्प्रभावी है।

6 यदि प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जवरन शक्ति के वल पर वेदखल कर देगे व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तातरण/ खुर्द वुर्द कर देगे तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई सम्भव नही होगा, इस कारण से वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को वादगस्त आराजीयात से जवरन शक्ति के वल पर वेदखल नही करे और नही किसी प्रकार की वाधा अथवा रुकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावें ।

7 वादपत्र की चरण संख्या– 02 में वर्णित आराजीयात वादी की पैतृक आराजीयात है, जिसमें वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादीगण का 2/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 01 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 5 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 6 का 1/8, हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 7 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 8 का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 09 एवं 10 का 1/8 हक हिस्सा निहित है वादीगण की पैतृक आराजीयात का प्रतिवादी संख्या – 01 द्वारा अपनी पुत्रवधु एवं पौत्रो के पक्ष में वादीगण के हक हिस्से का दिखावटी तौर पर दिनांक 04.05.2017 को कराये गये विक्रय पत्र वादीगण के मुकावले नल एण्ड वोईड (अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी) होकर वादीगण राजस्व रेकार्ड में अपना 2/8 हक हिस्से की भूमि को नाम पर दर्ज करवाने खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादीर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

8 वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिनाय वाद दिनांक 10.09.2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर रुप से जारी है।

9 अन्त में अंकित किया गया कि वादपत्र की कलम नम्बर– 02 में वर्णित आराजीयात वादी की पैतृक आराजीयात है, जिसमें वादीगण का

Scanned by CamScanner

जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादीगण का 2/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 01 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 5 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 6 का 1/8, हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 7 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 8 का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 09 एवं 10 का 1/8 हक हिस्सा निहित है वादीगण की पैतृक आराजीयात का प्रतिवादी संख्या – 01 द्वारा अपनी पुत्रवधु एवं पौत्रो के पक्ष में वादीगण के हक हिस्से का दिखावटी तौर पर दिनांक 04.05.2017 को कराये गये विक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले नल एण्ड वोईड (अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी) होकर वादीगण राजस्व रेकार्ड में अपना 2/8 हक हिस्से की भूमि को नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है, तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादीर फरमायीजाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

10 बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादीर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को वादपत्र की चरण संख्या– 2 में वर्णित सरहद ग्राम हुरडा तहसील हुरडा में खतौनी नम्बर– 446 आराजी नम्बर– 1623, 1643 किता 2 रकबा 02 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा भूमि में जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावें तथा वादी के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावें ।

11 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 02 से 04 की और से श्रीमति निर्मला जैन प्रतिवादी संख्या– 01 व 05 की और से श्री प्रेमसिंह पाडलेचा प्रतिवादी संख्या 07 व 08 की और से श्री दिनेश तिवाडी ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या– 6, 9, 10 अनुपस्थित रहे। इनके सम्मन बाद सर्विस बाद प्राप्त नही होने से प्रकरण वास्ते प्रतिवादी संख्या– 6, 9, 10 की तलबी तथा प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 एवं 7, 8 के जवाबदावा में नियत की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

12 तत्पश्चात पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

13 वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादीगण व प्रतिवादीगण की मौरुसी आराजीयात होकर उनके मौरुस बहादूर सिंह के समय की है। तथा बंटवारा व विरासत से प्रतिवादी संख्या– 1 के हक हिस्से में आयी है। जिसमें वादीगण का 2/8 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या– 1, 5, 6, 7, 8 प्रत्येक का 1/8, 1/8 प्रतिवादी संख्या– 9, 10 का 1/8 हक हिस्सा है। और इसी हक हिस्से के अनुसार वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजीयात वादीगण की पैतृक सम्पति होने से उनका जन्मतः हक अधिकार निहित है। वकील वादी का यह भी कथन था कि प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

संख्या– 1 मदनसिंह जो वादीगण का पिता है जिसकी उम्र 90 वर्ष की होकर काफी वृद्ध है एवं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नही है। प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 ने प्रतिवादी संख्या– 1 को अपने कब्जे में कर रखा है। तथा उसका अपने दवाब व प्रभाव में लेकर उनसे उक्त आराजी की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 ने अपने नाम पर करवा ली है। प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है तथा प्रतिवादी संख्या– 1 को भी सम्पूर्ण भूमि को विकय करने का अधिकार नही था। ऐसे विकय पत्र वादीगण के मुकाबले में नल एण्ड वाईड होकर शून्य प्रभावी है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को आराजी मुतदाविया में 2/8 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें।

14 जबकि वकील प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 का कथन था कि आराजी मुतदाविया यदि पैतृक सम्पति हो तो वादीगण को दी जावे यदि नही हो तो दावा खारिज फरमाया जावें। वकील प्रतिवादी संख्या– 7, 8 ने कथन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है।

15 मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से है–

16 वादीगण के द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा हुरडा मगरा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1623, 1643, 1911/1623, 1912/1623 किता 4 रकबा 90 बीघा 12 बिस्वा भूमि मदन सिंह पिता बहादूर सिंह राजपूत साकिन देह दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 2631 दिनांक 27.06.2017 बेचान से आराजी नम्बर– 1643, 1911/1623 किता 2 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा भूमि ममताकॅवर पत्नि गिरीराज सिंह राजपूत साकिन देह के नाम, नामान्तकरण संख्या– 2632 दिनांक 27.06.2017 बेचान से आराजी नम्बर– 1623 रकबा 51 बीघा 03 में से हिस्सा 600/1023 अरविन्द सिंह पिता गिरीराज सिंह राजपूत के नाम दर्ज तथा नामान्तकरण संख्या– 2633 निर्णय दिनांक 27.06.2017 बेचान से आराजी नम्बर– 1912/1623 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण व आराजी नम्बर– 1623 रकबा 51 बीघा 03 बिस्वा में मदनसिंह पिता बहादूरसिंह राजपूत हिस्सा 423/1023 के बजाय कुलदीपसिंह पिता गिरीराज सिंह राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

17 यहाँ वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके दादा बहादूर सिंह पुत्र रामनाथ सिंह के समय की है, जो विभाजन व विरासत से मदनसिंह प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम पर दर्ज की गई है। जिनसे उनका भी विरासती हक अधिकारी है। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा मौजा हुरडा मगरा के नामान्तकरण संख्या– 28 सम्वत् 2015 निर्णय दिनांक 20.11.1958 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। जिस अनुसार भूमि बंटवारा से आराजी नम्बर– 1162/5 रकबा 47 बीघा 01

Scanned by CamScanner

बिस्वा आराजी नम्बर– 1037/1 रकबा 20 बीघा किता 2 रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा भूमि मदनसिंह पिता बहादूर सिंह राजपूत साकिन देह के नाम हक हिस्से में आना प्रकट आया है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 मौजा हुरडा मगरा में आराजी नम्बर– 1037/1, 1162/5, किता 2 रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा भूमि मदन सिंह पिता बहादूर सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होना भी स्पष्ट हुआ है।

18 पत्रावली में उपलब्ध भू–प्रवन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2022 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार साविक आराजी नम्बर– 1037/1 के नये नम्बर– 1643 तथा साविक आराजी नम्बर– 1162/5 के नये नम्बर– 1623, 1911/1623, 1912/1623 बनाये जाना तथा उक्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व व सेटलमेन्ट के बाद मदनसिंह पिता बहादूर सिंह राजपूत के नाम दर्ज होना भी प्रकट हुआ है।

19 समग्र रुप से हम पाते है कि पत्रावली पर उपलब्ध विवादित आराजीयात की सेटलमेन्ट से पूर्व की अंतिम जमाबन्दी सम्वत् 2014–2017 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार आराजी नम्बर– 1162 रकबा 169 बीघा 12 बिस्वा भूमि भैरु सिंह पिता पृथ्वी सिंह, राजसिंह पिता जोधसिंह राजपूत साकिन देह के नाम तथा आराजी नम्बर– 1037 रकबा 54 बीघा 17 बिस्वा भूमि राज सिंह पिता जोधसिंह राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी और इसी जमाबन्दी पर लगे नोट में यह अंकित है कि "— **इन्तकाल नम्बर– 28 सम्वत् 2015 में बंटवारे की कार्यवाही तारीख 20.11.1958 को मन्जूरी हुई—" अर्थात् विवादित आराजीयात के मौजूदा खातेदारों / वारिसानों के मध्य भूमि का बंटवारा हुआ वह नामान्तकरण संख्या– 28 दिनांक 20.11.1958 से** हुआ था। पत्रावली में जो नामान्तकरण संख्या– 28 दिनांक 20.11.1958 की प्रमाणित प्रति जो वादीगण के द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसमें भूमि बंटवारा से आराजी नम्बर– 1162/5 रकबा 47 बीघा 01 बिस्वा तथा आराजी नम्बर– 1037/1 रकबा 20 बीघा किता 2 रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा भूमि मदनसिंह पिता बहादूर सिंह राजपूत साकिन देह के हक हिस्से में आई थी यानि की जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 व नामान्तकरण संख्या– 28 निर्णय दिनांक 20.11.1958 के मध्य कोई राजस्व रिकार्ड नही है और उक्त दोनो दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित भूमि मदन सिंह पिता बहादूर सिंह की स्व अर्जित भूमि नही है। यदि मदन सिंह के द्वारा उक्त भूमि खरीद की गई होती तो अवश्य ही जमाबन्दी सम्वत् 2014–2017 में या नामान्तकरण संख्या– 28 में इसका इन्द्राज होता। प्रतिवादीगण के द्वारा भी वादग्रस्त भूमि को मदनसिंह की स्व अर्जित भूमि होना भी नही बताया और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध कराया गया है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

20 नामान्तकरण संख्या– 28 के अनुसार ही जमाबन्दी सम्वत् 2018–21 में वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1037/1, 1162/5 किता 2 रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा भूमि मदनसिंह पिता बहादूर सिंह राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में यह पूर्णतयाः स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मदनसिंह पिता बहादूर सिंह की स्व अर्जित भूमि नही

Scanned by CamScanner

होकर पैतृक सम्पति है , और पैतृक सम्पति में बहादूर सिंह के सभी वारिसानों का समान हक हिस्सा है।

21 चुँकि यहाँ यह निर्विवाद है कि खातेदार मदनसिंह के छः पुत्रीयाँ कमशः कमला, पुष्पा, दयवन्ति, देवदर्शन, ललिता, दीपमाला, और एक पुत्र गिरीराज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में इन सभी का समान हक हिस्सा अर्थात् 1/8, 1/8 हक हिस्सा निहित होना प्रकट आया है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 का 1/8 हक हिस्सा होते हुये भी उनके द्वारा आराजी नम्बर– 1643, 1911/1623, किता 2 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा भूमि का विकय प्रतिवादी संख्या– 2 ममता कँवर को आराजी नम्बर– 1123 रकबा 51 बीघा 03 बिस्वा में से हिस्सा 600/1023, बैचान प्रतिवादी संख्या– 3 अरविन्द सिंह को आराजी नम्बर– 1912/1623 रकबा रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा, 1623 रकबा 51 बीघा 03 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या– 4 कुलदीप सिंह को विकय किया गया है जो वादीगण के हक अधिकारों पर बेअसर व शून्य प्रभावी होने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: निर्णय :–

दावा वादी डिकी किया मौजा हुरडा मंगरा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1623, 1643, 1911/1623, 1912/1623 किता 4 रकबा 90 बीघा 12 बिस्वा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 6, 7, 8 को 1/8, 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या– 9, 10 को 1/8 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner